न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, प्रतापगढ़ ।

वाद संख्या–40

अंतर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0
भूमि स्थित ग्राम–सकरौली परग0 व
तहसील–सदर, प्रतापगढ़ ।

सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी बनाम सरकार ।

आदेश
==========

श्रीमती अंजना सिंह, प्रबन्धक सुमनसिंह एजूकेशनल सोसाइटी, बहुंचरा, परग0 व तहसील–सदर, प्रतापगढ़ की ओर से धारा–143 ज0वि0अधि0 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करके कहा गया है कि ग्राम–सकरौली की भूखण्ड संख्या–653अमि0/0.569हे0 एवं 653मि0/0.301हे0, 661/0.025हे0, 662क/1.302हे0 में 1/2 भाग रकबा 0.814हे0 कुल रकबा 1.413हे0 को मौके पर उपरोक्त संस्था के लिए भवन व बाउन्ड्रीवाल तथा अन्य आवश्यक निर्माण किये जाने के कारण वर्तमान में उसकी हैसियत भूमिधरी नहीं रह जाने से आवासीय हो गयी है जिसमें विद्यालय वर्तमान में चल रहा है, जिसे आवासीय(आबादी) घोषित कर अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रकरण में तहसीलदार सदर से जाँच आख्या दिनांक–28–7–09 प्राप्त की गई । वादिनी की ओर से साक्ष्य में उद्धरण खतौनी फ0 1409 ता 1414फ0 ~~बाबत खाता सं0–101 व 456 व बैनामा दिनांक–31–12–08 व 20–9–08 की~~ छाया प्रति संलग्न किया है । तहसीलदार सदर की आख्या दि028–7–09 जो संस्तुति सहित प्रारूप नियम 135 के साथ प्रेषित की गई है, पत्रावली पर संलग्न है।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं सम्पूर्ण वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी जिस भूमि को आवासीय गैर कृषि प्रयोज्य भूमि घोषित कराना चाहती है वह उसके नाम बैनामें के आधार पर श्रेणी–1(क) के रूप में अंकित है । तहसीलदार की उक्त आख्या के अनुसार विवादित भूखण्डों पर उक्त रकबे पर कृषि कार्य न होकर विद्यालय भवन, बाउन्ड्रीवाल आदि निर्मित है और खेलकूद का मैदान भी है जिसे श्रेणी–6(2) के अंतर्गत अंकित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गई है । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार सदर की उक्त आख्या से स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड स्थल पर कृषिक न होकर आवासीय रूप में विद्यमान है जिसे गैर कृषि प्रयोज्य भूमि आबादी श्रेणी–6(2) के खाते में अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम–सकरौली परगना व तहसील–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ की भूखण्ड संख्या–653/0.301हे0, 661/0.025हे0, 662क/1.362हे0 के 1/2 भाग यानी 0.844हे0 एवं भूखण्ड सं0–653अमि0/0.569हे0 में से 0.569हे0 क्षेत्रफल कुल रकबा 1.413हे0 को गैर कृषि प्रयोज्य भूमि आबादी श्रेणी–6(2) घोषित करते हुए सुमनसिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी, बहुंचरा, परगना व तहसील–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ द्वारा प्रबन्धक सचिव श्रीमती अंजना सिंह पत्नी चन्द्रभूषण सिंह निवासी–बहुंचरा परगना व तहसील–सदर, जनपद–प्रतापगढ़

का नाम श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधरी से खारिज करके श्रेणी-6(2) आबादी के खाते में अंकित किया जाय। तदनुसार अमलदरामद हो। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक- 28-7-09 आदेश का अंग होगी। आदेश की प्रति तहसीलदार सदर एवं उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/08/09

उप जिलाधिकारी,
सदर-प्रतापगढ़।

Compared by
Estimated words: 350

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित।

अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर
प्रतापगढ़
18/08/09

प्रार्थना पत्र ... 402
... 18/8/09
... 19/8/09